रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2001/पौष 6, 1923

No. 346] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2001/PAUSA 6, 1923

CENTRAL 8

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2001

सं. टीएएमपी/62/2001-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार बजरों का अंतरकों (स्पेसरों) के रूप प्रयोग किए जाने पर उनके लिए किराया प्रभारों का निर्धारण करने के संबंध में विशाखापट्नम पत्तन न्यास के प्रस्ताव को अनुमोदित करता है।

अनुसूची

मामला सं0 टीएएमपी/62/2001-वीपीटी

विशाखापट्नम पत्तन न्यास (वीपीटी) .....आवेदक

आदेश

(दिनांक 13 दिसंबर, 2001 को पारित)

यह मामला बजरो का सुरक्षकों (फेंडरों)/अंतरकों (स्पेसरों) के रूप में प्रयोग किए जाने पर उनके लिए किराया प्रभारों के निर्धारण के लिए विशाखापट्नम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1 वीपीटी की मौजूदा दरों के मान में केवल अंतरकों के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले बजरों के लिए कोई प्रशुल्क नहीं दिया गया है ।

2.2 पूर्व संशोधित दरों के मान में 150 टन क्षमता वाले बजरों के प्रयोग के लिए प्रथम छह घंटे या उसके भाग के लिए 380/- रु0 का और प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके भाग के लिए 65/- रु0 का किराया प्रभार निर्धारित था । वीपीटी ने स्पष्ट कर दिया गया था कि जब 150 टन बजरों का प्रयोग लौह अयस्क जलयानों के लिए अंतरकों के रूप मे किया जाता है तब भी वह निर्धारित किराया वसूल करता है । वीपीटी के पास 150 टन क्षमता वाले बजरों के अलावा 400 टन वाले स्टील के पंटून भी है जिनके लिए प्रति छह घंटे या उसके भाग के लिए (बिना कर्मचारी के) 6,600/- रु0 और प्रति छह घंटे या उसके भाग के लिए (कर्मचारी सहित) 8220/- रु0 का किराया प्रभार निर्धारित था ।

2.4 नौवहन व्यापार ने वीपीटी से अनुरोध किया था कि वह केवल अंतरकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी क्षमता के बजरे के लिए एक समान दर निर्धारित करे ।

2.5 इस परिप्रेक्ष्य में वीपीटी ने अंतरकों/सुरक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी (400 टन की क्षमता तक के) बजरे के लिए प्रथम छह घंटे या उसके भाग के लिए 1166/- रु0 और प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके भाग के लिए 232/- रु0 की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है ।

3.1 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्ताव की प्रति विभिन्न पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधिक संस्थाओं को उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई । विशाखापट्नम चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री तथा विशाखापट्नम स्टीमशिप एजेंट्स एसोसिएशन ने वीपीटी के प्रस्ताव से अपनी सहमति व्यक्त की है । विशाखापट्नम पत्तन प्रयोक्ता संघ (वीपीयूए), भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआई) और भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ (आईएनएसए) ने कोई टिप्पणी नहीं भेजी है । कंटेनर शिपिंग लाइंस एसोसिएशन (सीएसएलए) ने कहा है कि वीपीटी के प्रस्ताव के बारे में उसे कुछ नहीं कहना है ।

4.1 प्रारंभिक संवीक्षा के आधार पर वीपीटी से अनुरोध किया गया कि वह अपने प्रस्ताव के कारण उठे कुछ मुद्दों पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे । स्पष्टीकरण के लिए उठाए गए कुछ मुद्दे निम्नलिखित है :-

(i) प्रस्तावित किराया प्रभारों का आधार

(ii) 400 टन की क्षमता वाले स्टील के पंटूनों के संबंध में अतिरिक्त कर्षण प्रभारों की प्रयोजनीयता ।

4.2 वीपीटी ने इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

(i) बजरों और स्टील पंटूनों का प्रयोग करने का प्रयोजन वही है जो लौह अयस्क जलयानों के अंतरकों/सुरक्षकों का है, केवल उनके किराया प्रभारों में अंतर है । बजरों / स्टील पंटूनों (400 टन क्षमता) के प्रयोग के इसी प्रयोजन को देखकर नौवाहन व्यापार की ओर से किए गए अनुरोध को ध्यान में रखकर ही केवल अंतरकों/ सुरक्षकों के रूप में प्रयुक्त बजरों / स्टील पंटूनों के लिए एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ii) प्रस्तावित दर का आकलन 150 टन की क्षमता के बजरों के लिए लागू किरायों प्रभारों को अधार मानकर अंतरकों / सुरक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 400 टन तक की क्षमता वाले बजरों/स्टील पंटूनों- लव / कुश के लिए यथानुपाती प्रस्तावित दर निकाल कर किया गया है ।

(iii) मौजूदा दरों के मान के खंड 5.3.2 के नोट I और VI अपरिवर्तित रह सकते हैं ; और अंतरकों/ सुरक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बजरों / पंटूनों - लव/कुश (400 टन तक की क्षमता) के लिए निम्नलिखित एक पृथक नोट शामिल किया जा सकता है :-

"केवल अंतरकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 400 टन की क्षमता तक के बजरों/ स्टील पंटूनों - लव / कुश के लिए निर्धारित प्रभारों में कर्षण प्रभार शामिल नहीं है ।"

6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 6 नवंबर, 2001 को विशाखापट्नम में की गई । संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित निवेदन किए गए :-

विशाखापट्नम पत्तन न्यास (वीपीटी)

(i) हमारा प्रस्ताव प्रयोक्ताओं के साथ हुए विस्तृत विचार - विमर्श पर आधारित है ; कहीं कोई विवाद नहीं है ।

(ii) हम केवल अंतरकों के लिए प्रभार लेते हैं, सुरक्षकों के लिए नहीं ।

विशाखापट्नम स्टीमशिप एजेंट्स एसोसिएशन (वीएसएए)

(i) सुरक्षक उपलब्ध कराना प्रचालन आवश्यकता है । यह पत्तन की जिम्मेदारी है ; और इसके लिए प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए ।

7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में और सामूहिक विचार - विमर्श के आधार पर निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

(i) वीपीटी की मौजूदा दरों के मान में लौह अयस्क जलयानों के लिए केवल अंतरकों के रूप में प्रयुक्त बजरों के लिए कोई पृथक दर नहीं है ; और वर्तमान में इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए प्रभार वीपीटी की दरो के मान में 'जहाज कार्गो प्रहस्तन से भिन्न प्रयोजनों के लिए बजरा प्रभार' प्रशुल्क शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार वसूल किए जाते हैं । बजरा किराया

प्रभारों में 150 टन तक की क्षमता वाले बजरों के लिए और 400 टन तक की क्षमता वाले स्टील पंटूनों - लव / कुश के लिए दरें दी गई हैं जिनमें बहुत अधिक अंतर है ।

(ii) वीपीटी की लौह अयस्क बर्थ बड़े जलयानों के प्रहस्तन के लिए बनाई गई है । नौवाहन व्यापार की जरूरत के कारण जब छोटे जलयानों को बर्थ में लगाया जाता है तो लोडिंग आर्म की पहुंच और जहाज की पकड़ के बीच गलत संरेखण हो सकता है । संरेखण को समायोजित करने के लिए बर्थ और जलयान के बीच अंतरक (स्पेसर) रखा जाता है , और इस संदर्भ में बजरों का प्रयोग अंतरकों के रूप मे किया जाता है । अंतरक चूंकि केवल कार्गो के प्रहस्तन की सुविधा के लिए होता है, कार्गो के प्रहस्तन के लिए नहीं, अतः इसकी कार्गो प्रहस्तन क्षमता का इस स्थिति से कोई सरोकार नहीं है ।

(iii) वीपीटी अंतरकों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए बजरे उनकी उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराता है । यदि किसी समय अंतरक के रूप में प्रयोग के लिए केवल 400 टन का बजरा उपलब्ध हो और उस पर लागू किराया प्रभार वसूल किया जाए तो संबंधित प्रयोक्ता पर 150 टन और 400 टन की क्षमता वाले बजरों के बीच पृथक-पृथक प्रशुल्क होने के कारण वीपीटी को अधिक भुगतान करने का भार पड़ेगा । प्रयोग का प्रयोजन चूंकि एक जैसा है अतः वीपीटी का प्रस्ताव अंतरकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बजरे किसी भी क्षमता के हों, अंतरक उपलब्ध कराने के लिए समान दर रखने का है । यह प्रस्ताव पूरी तरह प्रयोक्ताओं की मांग के अनुरूप है । इस प्रकार यह वीपीटी का अपनी दरों के मान को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों को जारी रखने के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के अनुकूल दूसरा प्रस्ताव है ।

(iv) वीएसएए की आपत्ति को संभवतः गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है अथवा यह प्रस्ताव में भाषा के प्रयोग से हुई इस भ्रांति के कारण की गई हो सकती है कि प्रस्तावित दरें सुरक्षकों और अंतरकों के रूप में प्रयोग होने वाले बजरों के लिए है । इसमें कोई संदेह नहीं कि बर्थों/जेट्टी के साथ सुरक्षको की व्यवस्था करना पत्तन की जिम्मेदारी है । वीपीटी ने इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट भी किया है । यह प्रस्ताव केवल उन बजरों के लिए दर निर्धारित करने के लिए है जिनका प्रयोग अंतरकों के रूप में किया जाता है ; और अंतरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता जैसा कि ऊपर कहा गया है, जहाज की आवश्यकता के कारण होती है । ऐसी स्थिति में इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए पृथक प्रभार प्रभारित वसूल करना अनुचित नहीं है ।

(v) वीपीटी ने प्रस्तावित समान दर का आकलन 150 टन की क्षमता वाले बजरों को आधार मानकर अंतरकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बजरों / स्टील पंटूनों (400 टन तक की क्षमता) के लिए यथानुपाती प्रस्तावित दर निकाल कर किया है । हालांकि आधार दर पत्तन द्वारा वर्णित प्रणाली के अनुरूप है परंतु 6 घंटे से अधिक प्रयोग के अतिरिक्त घंटों के लिए दर में मामूली-सी

विसंगति है । प्रयोक्ताओं ने प्रस्तावित दर का समर्थन किया है और प्रस्तावित दरें प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए अधिक हैं क्योकि 150 टन की क्षमता के बजरों की दर को आधार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्राधिकरण को वीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों को बिना किसी संशोधन के अनुमोदित करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

(vi) 150 टन की क्षमता वाले बजरों के लिए लागू किराया प्रभारों में बंदरगाह के किसी एक भाग से बंदरगाह के किसी दूसरे भाग तक बजरे और उपस्कर की सप्लाई और कर्षण के तथा खाली बजरे वापस लाने के प्रभार शामिल हैं जबकि 400 टन की क्षमता वाले स्टील पंटूनों के किराया प्रभारों में कर्षण प्रभार शामिल नहीं हैं । अतः वीपीटी को प्रस्ताव किया है कि पृथक नोट निर्धारित किया जाए और उसमें यह उल्लेख किया जाए कि 400 टन तक की क्षमता वाले बजरों का प्रयोग अंतरकों के रूप में करने के लिए बजरा प्रभारों में कर्षण प्रभार शामिल नहीं हैं । यह सही है कि पत्तन को प्रचालन स्थल पर बजरे उपलब्ध कराने होते हैं और बजरों के कर्षण की प्रक्रिया में खर्च भी होता है । अतः यथा लागू कर्षण प्रभारों की अलग से वसूली करना उचित है । ऐसी स्थिति में संबंधित दरों के स्थिति के अनुरूप अनुप्रयोग के रूप में दरों के मान में शामिल करने के लिए वीपीटी द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित नोट को भी अनुमोदित किया जाता है ।

8. परिणामस्वरूप और उपर्युक्त कारणों से तथा सामूहिक विचार - विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण अंतरकों के रूप में बजरों का प्रयोग किए जाने पर उनके लिए वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित निम्नलिखित किराया प्रभारों को अनुमोदित करता है :-

लौह अयस्क जलयानों के लिए बजरों का अंतरकों के रूप में प्रयोग किए जाने पर बजरा प्रभार

मद सं0	विवरण	यूनिट	दर (रु0 में)
01.	बजरे / स्टील पंटून (400 टन की क्षमता तक के)	प्रथम 6 घंटे या उसके भाग के लिए	1166
		प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके भाग के लिए	232

नोट :- (i) केवल अंतरकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 400 टन की क्षमता तक के बजरों / स्टील पंटूनों - लव/ कुश के लिए निर्धारित प्रभारों में कर्षण प्रभार शामिल नहीं हैं ।"

9. वीपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह तदनुसार दरों के मान में संशोधन करे ।

10. यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 15 दिन बीतने के बाद प्रभावी होगा ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2001/असा.]